न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0,ग्वालियर

प्र0क0 -एक/2017 निगरानी R 955-I-17

धनीराम पुत्र सिठ्ल्ली यादव
ग्राम भानुपरा तहसील खरगापुर
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरुद्ध

1- म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर टीकमगढ़
2- पन्नालाल पुत्र रघुवीर यादव
ग्राम सलैया तहसील छतरपुर
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश -- अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,1959 - अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ व्दारा प्र0क0 6/14-15 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22-2-2017 के विरुद्ध)

निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

महोदय,

यहकि मूल विवाद ग्राम भानपुरा तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ की भूमि सर्वे कमांक 571, 808, 809, 807/1025 कुल रकबा 0.696 का है क्योंकि इस भूमि पर आवेदक पिछले 50 वर्षों से काविज होकर खेती करके अपने वाल-वच्चों का पालन पोषण करता आ रहा है। इसी भूमि को तहसीलदार खरगापुर ने ग्राम में इस्तहार जारी किये बिना तथा ग्रामीणों को सूचना दिये बिना प्रकरण कमांक 23 अ-19/1995-96 में पारित आदेश दिनॉक 11-4-1995 से ग्राम सलैया तहसील छतरपुर के निवासी पन्नालाल पुत्र रघुवीर यादव को आवंटन कर दिया , जबकि पन्नालाल यादव निम्न कारणों से भूमि आवंटन के लिये अपात्र रहा है :-

1. पन्नालाल ग्राम भानपुरा तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ का निवासी नहीं है , वह ग्राम सलैया तहसील छतरपुर जिला छतरपुर का निवासी है।
2. पन्नालाल पुत्र रघुवीर यादव वर्ष 1995 में सामान्य वर्ग की श्रेणी का है जबकि ग्राम में अन्य भूमिहीन कृषि मजदूर हैं

-2-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक–निगरानी–955–एक/2017 जिला–टीकमगढ़

धनीराम यादव विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री जी.पी. नायक अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 6/2014–15/स्व.निग. में पारित आदेश दिनांक 22–02–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 13–05–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 18/03/19	